न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट (तृतीय) – जयपुर

1. पीठासीन अधिकारी : श्रीमती कुन्तल विश्नाई
2. प्रकरण संख्या : 83/2020
3. उनवान : सरकार जरिये थानाधिकारी, थाना बगरु

बनाम

1. श्री सांवरमल पुत्र श्री बंशीधर उर्फ बंशीराम निवासी जुणस्या थाना रेनवाल जिला जयपुर।
2. श्री राजेश कुमार पुत्र श्री पतराम यादव निवासी हमीदपुर तह. नारनौल थाना नारनौल जिला महेन्द्रगढ हरियाणा हाल श्याम विहार कालोनी दहमी कलां बगरु थाना बगरु जिला जयपुर।

4. निर्णय दिनांक : 24/10/2024
5. अधिवक्तागणों का नाम : अ) पैरोकार रसद प्रार्थी की ओर से।
   ब) अधिवक्ता श्री अमृत प्रसाद शर्मा अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से।
   स) अधिवक्ता श्री मुरारी लाल गुप्ता अप्रार्थी संख्या 2 की ओर से।

निर्णय

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955

प्रार्थी थानाधिकारी, पुलिस थाना बगरु, जिला जयपुर शहर(पश्चिम) द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 पेश कर निवेदन किया है कि दिनांक 31.01.2016 को मुखबीर द्वारा सूचना दी गयी कि बगरु इण्डस्ट्रीयल एरिया से वाहन सं. आर.जे.14–जीडी–8567 टाटा एस लोडिंग से अवैध केरोसीन पेट्रोलियम पदार्थों का परिवहन किया जा रहा है। सूचना पर थानाधिकारी मय जाप्ते मौके पर पहुंचे। नाकाबंदी के दौरान बगरु की तरफ से आ रहे वाहन सं. आर.जे. 14–जीडी–8567 टाटा एस को रुकवाया जिसमें ड्राइवर श्री सांवरमल मिले। जांच के दौरान गाडी में पीछे रखे 5 ड्रम थे जिनमें प्रत्येक में 209 लीटर केरोसीन था। पूछताछ में वाहन चालक सांवरमल ने बताया कि अप्रार्थी संख्या 2 व उसके सहयोगियों द्वारा नीला केरोसीन को सफेद केरोसीन बनाने हेतु केमिकल मिला दिये हैं तथा इस मिश्रित केरोसीन को पेट्रोल में मिलाकर उच्च दामों पर बेचते हैं। अप्रार्थी संख्या 1 ने उक्त केरोसीन के परिवहन व भण्डारण बाबत कोई अनुज्ञा पत्र व दस्तावेजात नहीं दिखाये। इस प्रकार अप्रार्थीगण द्वारा राजकीय सहाय प्राप्त नीले केरोसीन के अवैध भण्डारण, परिवहन व खरीद फरोख्त कार्य करने से 5 ड्रम मय 209 लीटर केरोसीन तथा इनके अवैध परिवहन में काम आ रही टाटा एस लोडिंग सं. आर.जे.14–जीडी–8567 को जब्त किया गया। तत्पश्चात अप्रार्थी की निशानदेही पर फैक्ट्री जी–1–55 फैज द्वितीय रिको एरिया बगरु से 56 ड्रम भरे हुये(लगभग 200 लीटर प्रत्येक में) मिश्रित केरोसीन, काला आयल 15 ड्रम(लगभग 200 लीटर प्रत्येक में) तथा संदिग्ध पानी मिले तेलिये पदार्थ मय 60 ड्रम(लगभग 200 लीटर प्रत्येक में) जप्त किये। मौके से एक मापांक, इस्तेमाली दो बाल्टी, मीटर गेज तथा एक वाहन पिकअप लोडिंग नं. आर.जे. 14–जीबी–3860 एवं मोटर साईकिल आर.जे.14–एस.जे.–2052 जप्त किए। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र, फर्द जप्ती व एफ.आई.आर. की प्रति पेश कर निवेदन किया है कि जब्त वस्तुओं को आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6–ए(2) के तहत राजसात करने की कृपा करें।

प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थीगण को नोटिस सम्यक रुप से तामील है। अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से को अधिवक्ता श्री अमृत प्रसाद शर्मा व अप्रार्थी संख्या 2 की ओर से मुरारी लाल गुप्ता ने उपस्थिति दी। दिनांक 26.02.2016 को श्री रिछपाल ने जरिये अधिवक्ता प्रार्थना पत्र पेश कर स्वयं को जब्त गाडी का मालिक बताते हुये सुपुर्दगीनामे/जमानतनामे पर गाडी को रिलीज करने का प्रार्थना पत्र पेश किया। जिसमें रुपये 3,00,000/– का जमानतनामा पेश करने पर दिनांक 30.03.2016 को माननीय

अतिरिक्त, जिला कलक्टर
(तृतीय) जयपुर

न्यायालय द्वारा जब्त गाडी टाटा एस लोडिंग सं. आर.जे.14–जीडी–8567 के मोचन आदेश(रिलीज आर्डर) जारी किये गये। दिनांक 11.05.2016 को राधिका रोड लाईन्स ने जरिये पावर ऑफ आटार्नी होल्डर श्री राजेश यादव के प्रार्थना पत्र पेश कर स्वयं को जब्त गाडी पिकअप लोडिंग नं. आर.जे. 14–जीबी–3860 का मालिक बताते हुये सुपुर्दगीनामे/जमानतनामे पर गाडी को रिलीज करने का प्रार्थना पत्र पेश किया। जिसमें रुपये 3,00,000/– का जमानतनामा पेश करने पर दिनांक 01.08.2016 को माननीय न्यायालय द्वारा जब्त गाडी के मोचन आदेश(रिलीज आर्डर) जारी किये गये। दिनांक 11.05.2016 को मैसर्स सांई कृपा एक्जीम (इण्डिया) प्रा. लि. ने जरिये मुख्त्यारआम श्री राजेश यादव के प्रार्थना पत्र पेश कर स्वयं को जब्त गाडी मोटर साईकिल आर.जे.14–एस.जे.–2052 का मालिक बताते हुये सुपुर्दगीनामे/जमानतनामे पर गाडी को रिलीज करने का प्रार्थना पत्र पेश किया। जिसमें रुपये 50,000/– का जमानतनामा पेश करने पर दिनांक 01.08.2016 को माननीय न्यायालय द्वारा जब्त गाडी के मोचन आदेश(रिलीज आर्डर) जारी किये गये। दिनांक 4.05.2017 को रामा एन्टरप्राइजेज जरिये राजेश की ओर से पेश जवाब में अंकित किया है कि अप्रार्थी पर जब्ती की कार्यवाही विधि विरुद्ध है। प्रार्थी की फर्म को पेट्रोलियम के आयात, भण्डारण की अनुज्ञप्ति जारी की हुई है। सेल टैक्स द्वारा भी फर्म को पेट्रोलियम पदार्थो की क्रय विक्रय के लिए रजिस्टर्ड किया हुआ है। भारत सरकार के गजट के अनुसार मिश्रित सूची के पदार्थो के 50 किलो लीटर प्रतिमाह के क्रय विक्रय व 20,000 लीटर के भण्डारण के लिए लाईसेन्स की आवश्यकता नहीं है। उक्त भूखण्ड में फर्म द्वारा राजेश यादव को लाईसेन्स के तहत आने वाले माल के भण्डारण व क्रय विक्रय के लिए राजेश यादव को अधिकृत किया हुआ है। अगर राजेश यादव द्वारा गैरकानूनी तरीके से कोई अन्य कार्य किया जाता है उसके लिए राजेश यादव जिम्मेदार है। अप्रार्थी सांवरमल की गाडी से पकडे गये 5 ड्रम फर्म की बिना जानकारी व बिना बिल के थे। जबकि उक्त परिसर जो माल जप्त किया गया है वो रिडयूसर व बोटम आयल है। अतः उक्त की गई कार्यवही को ड्रोप किया जाकर जप्त किये माल को राजसात नहीं किये जाने के आदेश फरमावें। दिनांक 14.06.2023 को अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से पेश जवाब में अंकित किया है कि राजेश यादव ने अप्रार्थी के वाहन में 5 ड्रम रखवाकर वीकेआई छुडवाने के लिए कहा और स्वयं के पीछे–पीछे आने के लिए कहा। इसी दौरान रास्ते में पुलिस द्वारा अप्रार्थी को पकड लिया व राजेश यादव पुलिस को देख कर भाग गया। अप्रार्थी को उक्त ड्रमों में क्या पदार्थ की जानकारी नहीं थी। अतः अप्रार्थी के विरुद्ध की गई कार्यवाही ड्राप फरमाई जावे। तत्पश्चात प्रकरण बहस हेतु नियत किया गया। लम्बे समय तक पत्रावली बहस हेतु नियत रही परन्तु अप्रार्थी द्वारा बहस हेतु बार–बार समय चाहा जाने से प्रतीत होता है कि अप्रार्थी अधिवक्ता बहस नहीं करना चाहते हैं। आज बारम्बार आवाज दिलाने के बावजूद अप्रार्थीगण/अधिवक्तागण अनुपस्थित रहे हैं। प्रार्थी पैरोकार सरकार द्वारा विभागीय प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए जब्त माल को मय वाहन राजसात करने का निवेदन किया। तदुपरान्त पत्रावली दिनांक 24/10/2024 को आदेश हेतु रखी गई।

हम प्रार्थी के प्रार्थना पत्र, दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन व मनन कर इस निष्कर्ष पर पहुंचते कि दिनांक 31.01.2016 को मुखबिर द्वारा सूचना दी गयी कि बगरु इण्डस्ट्रीयल एरिया से वाहन सं. आर.जे.14–जीडी–8567 टाटा एस लोडिंग से अवैध केरोसीन पेट्रोलियम पदार्थो का परिवहन किया जा रहा है जिसे जब्त किया गया। अप्रार्थी की निशानदेही पर फैक्ट्री जी–1–55 फैज द्वितीय रिको एरिया बगरु से 56 ड्रम भरे हुये(लगभग 200 लीटर प्रत्येक में) मिश्रित केरोसीन, काला आयल 15 ड्रम(लगभग 200 लीटर प्रत्येक में) तथा संदिग्ध पानी मिले तेलिये पदार्थ मय 60 ड्रम(लगभग 200 लीटर प्रत्येक में) जप्त किये। मौके से एक मापांक, इस्तेमाली दो बाल्टी, मीटर गेज तथा एक वाहन पिकअप लोडिंग नं. आर.जे.14–जीबी–3860 एवं मोटर साईकिल आर.जे.14–एस.जे.–2052 जप्त किए। अप्रार्थीगण द्वारा पिकअप से जब्त 5 ड्रम मय केरोसीन के बारे कोई वैध क्रय विक्रय के दस्तावेज व अनुज्ञापत्र प्रस्तुत नहीं किये साथ ही उक्त सामग्री किसकी खरीद तथा किसको विक्रय की स्थिति भी संदिग्ध प्रतीत होती है। अप्रार्थीगण द्वारा फैक्ट्री से जब्त सामान के बारे में भी किसी प्रकार के क्रय दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये। अप्रार्थीगण द्वारा जब्त वस्तुओं की वैधता के संबंध में मौके पर और आदिनांक तक कोई साक्ष्य सबूत उपलब्ध नहीं करवाये गये तथा कोई सन्तोषप्रद

अतिरिक्त, जिला कलक्टर

जवाब भी नहीं दिया गया। किसी अन्य व्यक्ति द्वारा भी वाहनों के अलावा अन्य जब्त सामग्री के संबंध में कोई क्लेम आज तक पेश नहीं किया गया है। जवाब में अप्रार्थी संख्या 1 का यह अंकित है कि राजेश यादव ने जप्तशुदा ड्रम बिना उसकी जानकारी के केवल परविहन के लिए रखवाये थे एवं रामा एन्टरप्राइजेज के तरफ से दिये गये जवाब में अंकित है कि उक्त सामान फर्म की बिना जानकारी व बिना बिल के थे, से स्पष्ट है कि उक्त 5 ड्रम मय केरोसीन अवैध थे एवं इसमें राजेश यादव की संलिप्तता थी। साथ ही रामा एन्टरप्राइजेज के तरफ से दिये गये जवाब में अंकित है कि फर्म द्वारा राजेश यादव को लाईसेन्स के तहत आने वाले माल के भण्डारण व क्रय विक्रय के लिए राजेश यादव को अधिकृत किया हुआ है। अगर राजेश यादव द्वारा गैरकानूनी तरीके से कोई अन्य कार्य किया जाता है उसके लिए राजेश यादव जिम्मेदार है। अतः केवल फर्म अधिकृत पेश करने से यह नहीं माना जा सकता कि वहां केवल उन्हीं पदार्थों का भण्डारण किया जा रहा था जो लाइसेन्स में अधिकृत थे। अप्रार्थी राजेश यादव ने फैक्ट्री से जप्त किये गये माल की वैधता के संबंध में कोई दस्तावेजात व साक्ष्य सबूत नहीं उपलब्ध कराये। अधिवक्तागण द्वारा पेश नजीरें उक्त प्रकरण में चस्पा नहीं होती हैं। अप्रार्थीगण ने राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण व विनियमन) आदेश 1976 एवं केरोसीन उपयोग पर निर्वधन एवं अधिकतम कीमत नियतन आदेश 1993 के प्रावधानों का उल्लंघन किया है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी द्वारा जब्त 5 ड्रम प्रत्येक में 207.5 लीटर केरोसीन(नमूने लेने के पश्चात), इनके अवैध परिवहन में काम आ रही टाटा एस लोडिंग सं. आर.जे.14–जीडी–8567 तथा मिश्रित केरोसीन के 56 ड्रम (लगभग 200 लीटर प्रत्येक में), काला आयल 15 ड्रम (लगभग 200 लीटर प्रत्येक में) तथा संदिग्ध पानी मिले तेलिये पदार्थ मय 60 ड्रम (लगभग 200 लीटर प्रत्येक में), एक मापांक, इस्तेमाली दो बाल्टी, मीटर गेज तथा इनके अवैध परिवहन में काम आ रही वाहन पिकअप लोडिंग नं. आर.जे.14–जीबी–3860 एवं मोटर साईकिल आर.जे.14–एस.जे.–2052 को राजसात किया जाता है। जिला रसद अधिकारी, जयपुर द्वितीय को निर्देश दिये जाते हैं कि जब्त सामग्री को नियमानुसार अन्तिम निस्तारण किया जाकर राशि राजकोष में जमा कराकर पालना रिपोर्ट प्रेषित करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 24/10/2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Court to the Addl. Collector & Addl. District Magistrate-III • JAIPUR •

(कुन्तल बिश्नोई)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
अति. जिला कलक्टर (तृतीय) जयपुर
जिला मजिस्ट्रेट (तृतीय)
जयपुर।